10.02.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उप०।
अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल
प्राप्त। रूक-रूक कर तीन बार आवाज
दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने
से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल
में लाई जाती है।
प्रार्थीगण अधिवक्ता इब्राहिम शाह
द्वारा दि० 01.02.2025 की आदेशिका में
वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मूल वाद
के निस्तारण तक वाद में अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।
हमने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा
दिये गये तर्कों पर मनन किया। तथा
पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Continue मु.न. 15/17

अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार वादग्रस्त आराजी मौजा अचलपुर परवार हल्का अचलपुर ख. न. 372 रकबा 3.36 है., ख.न. 373 रकबा 1.14 है. आराजी मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

—आदेश!—

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर मौजा अचलपुर ख.न. 372, 373 रकबा क्रमशः 3.36, 1.14 हेक्टेयर आराजी की अप्रार्थी सं. 1 से 3 मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner